नागरिकता के आदर्श

हृदय कान्त दीवान

शिक्षा की प्रक्रिया एक बच्चे को अपने देश का हिस्सा बनने के लिए तैयार करती है। शिक्षा से अपेक्षा होती है कि वह बच्चे को अच्छा और ज़िम्मेदार नागरिक बनाए तथा उसे उन भूमिकाओं का ज्ञान दे, जो उसे निभानी चाहिए - और इन भूमिकाओं के निर्वहन के कारणों तथा उनके विभिन्न रूपों से भी अवगत करवाए। एक अच्छे नागरिक को केवल अपनी ही परवाह नहीं करनी चाहिए बल्कि दूसरों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। अच्छी नागरिकता का अर्थ है, व्यापक सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए देश या उस के लोगों के लिए हानिकर स्थितियों से निपटने और उन्हें बदलने की कोशिशों में हिस्सेदारी के लिए तैयार रहना।

एक बच्चे को गढ़ने और आकार देने में, उसके विचारों और सम्बन्ध बनाने के तौर-तरीक़ों को शक्ल देने में, कई कारकों की भूमिका रहती है। इनमें से पहला कारक उसका परिवार और उसके आस-पास का समुदाय होता है। सभी परिवारों की इच्छा और सब समाजों की ज़रूरत होती है कि उनके बच्चे इस तरह से शिक्षित हों कि वे समुदाय का एक सामंजस्यपूर्ण हिस्सा बन जाएँ और उसके कार्य करने के तरीक़े के साथ एकीकृत हो जाएँ; वे उसमें सहज महसूस करें और उसमें योगदान दें; और अन्ततः आत्मविश्वास हासिल करके उसे आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी ले पाएँ।

समुदायों का आकार अब बड़ा होने के साथ-साथ उनमें अधिक जटिलता भी आ गई है। इसी के चलते बच्चे अब अपने परिवार से बाहर के कहीं अधिक लोगों के साथ अन्त:क्रिया में आते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनका परिवार नहीं जानता। बच्चों का नई स्थितियों से सामना होता है और अजनबियों के साथ मिलना-जुलना भी होता है। उन्हें अजनबियों के साथ ही ऐसे लोगों से भी बातचीत करनी होती है, जिनसे वे तो परिचित होते हैं लेकिन जो परिवार का हिस्सा नहीं होते। बच्चों को सम्बन्ध विकसित करने होते हैं और समझना होता है कि परिवार की मदद के बिना इन सबके साथ किस तरह व्यवहार करना है – मदद के लिए उनके पास वास्तविक स्थितियों के लिए कुछ सामान्य आदेशों-निर्देशों के अलावा कुछ नहीं होता।

एक-दूसरे के साथ व्यवहार के सूक्ष्म अन्तर सीखना

बच्चों को अपने बिल्कुल नज़दीक के दायरे की स्थितियों से निपटने के दौरान कुछ विकल्पों का चुनाव करना होता है। उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाले उनके बिल्कुल निकट के दायरे में उनका ध्यान रखने वाले लोग, उनके प्रति उदासीन रहने वाले और उनके साथ हेर-फेर करने वाले या उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी हो सकते हैं। एक बच्चे को इनके बीच अन्तर करना और प्रत्येक को उचित प्रतिक्रिया देना सीखना होता है। बच्चे के लिए ख़ासतौर से यह जानना ज़रूरी है कि कब कोई उसे लुभाकर और/या प्रभुत्व जमाकर उसके साथ हेर-फेर करने की कोशिश करता है – और कैसे इसका विरोध करना है। इसके लिए बच्चे को ख़ुद के बारे में, उसके शरीर और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के साथ ही, इस बारे में भी शिक्षित करना ज़रूरी है, कि अन्य लोग उस के साथ क्या कर सकते हैं।

इस बारे में भी शिक्षित होने की ज़रूरत है कि ऐसे मामलों में उनका फ़ायदा उठाने के क्या तरीक़े हो सकते हैं। समाज और स्थितियाँ निरन्तर बदलती रहती हैं। इसलिए बच्चों के साथ होने वाले सम्भावित हेर-फेर और ज़ोर-ज़बरदस्ती वाले व्यवहारों के तौर-तरीक़ों और प्रकृति में भी बदलाव आ सकता है। इसीलिए बच्चे की शिक्षा को विस्तार देते हुए उसमें नई तरह की प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा और सीखने की ये ज़रूरतें समाज का सदस्य बनने और सम्भावित ख़तरों से सुरक्षित रहने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

संक्षिप्त में, शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चा एक सुरक्षित नागरिक के रूप में बड़ा हो सके, अपने आस-पास के बारे में जानकार और जागरूक रहे, और स्वयं की सुरक्षा कर पाने में सक्षम हो। इसके लिए उसे सम्भावित ख़तरों वाले उपकरणों और सुविधाओं के उपयोग से जुड़ी सावधानियों और ध्यान में रखे जाने वाली बातों की जानकारी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, सड़क पर चलने के दौरान या फिर बिजली के कनेक्शनों, जलाशयों आदि के आस-पास होते समय। बच्चे को सह-अस्तित्व और परस्पर आदान-प्रदान के बुनियादी नियमों के बारे में भी जागरूक होना ज़रूरी

है। जैसे कि इस बात का एहसास कि खेलते समय नियमों का पालन करना है, सबकी बारी आनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं जीत सकता। समुदाय का हिस्सा होते हुए बच्चे को अपने निकटतम और व्यापक परिवार की प्रथाओं, रीति-रिवाज़ों और व्यावहारिक तौर-तरीक़ों के बारे में सीखना होता है। समुदाय में बड़ा होते हुए बच्चे के पास आमतौर पर यह सब सीखने के मौके उपलब्ध रहते हैं। इसमें से बहुत कुछ तो स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त भी नहीं किया जाता, न ही जानते-बूझते हुए प्रदान या लागू किया जाता है लेकिन यह सब उस संस्कृति और परम्परा का हिस्सा होता है जिसे बच्चा महसूस करता है। यह शिक्षा बच्चे के बड़े होने की प्रक्रिया और उसकी मान्यताओं को प्रभावित करती है।

एक बच्चे के कई अधिकार हैं। इनमें देखभाल किए जाने और सुरक्षित रखे जाने के अधिकार, यह सब और बाकी बहुत कुछ समझ पाने के उद्देश्य से शिक्षित होने का हक़, अपने आस-पास के संसाधनों और गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी का अधिकार शामिल हैं। इसका अर्थ है कि व्यवहार और भागीदारी से जुड़े नियम हैं, जो कर्तव्य भी हैं। यानी बच्चे को भी कुछ विशेष भूमिकाएँ निभानी होती हैं। समुदाय में बच्चे की शिक्षा में यह सब शामिल है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

जटिल समाज में अधिकार और कर्तव्य

सांस्कृतिक सहवास की यह प्रक्रिया आवश्यक शिक्षा के सन्दर्भ में पर्याप्त नहीं है। हम जानते हैं कि समाजों को विकसित, परिवर्तित, अनुकूलित होना होता है, और नए तरीक़े भी अपनाने होते हैं। इसलिए जिज्ञासा, जाँच-पड़ताल, खोज-बीन और प्रश्न पूछना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे को इस सबके बारे में शिक्षित होने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि एक वयस्क के तौर पर वह विकल्पों का चुनाव कर पाए तथा ऐसी नई स्थितियों और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो पाए जो उन स्थितियों से कुछ अलग हो सकती हैं जिनके बारे में समुदाय जागरूक रहा है। हम यह भी जानते हैं कि समुदाय बड़े समाज का एक हिस्सा है जिससे ही देश-जहान भी बनता है। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इस ज्ञान तक पहुँच बनाना सम्भव है और उसे यह चुनाव करने का अधिकार है कि वह क्या बनना चाहता या चाहती है – उसे अपने आस-पास उपलब्ध गिने-चुने विकल्पों तक सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है और विशेष तौर से उसके परिवार और समुदाय में उपलब्ध बहुत ही थोड़े-से विकल्पों के साथ बँधे रहना भी ज़रूरी नहीं है। इन सब बातों को शामिल करने से अधिकारों की रूपरेखा अचानक व्यापक हो जाती है।

पहले से ही बहुत जटिल समाज की जटिलता और बढ़ रही है और इसमें ख़ास तरह की तैयारी की दरकार वाली विशेष भूमिकाएँ हैं। प्रत्येक बच्चे को इनके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। उसे इन भूमिकाओं के मौक़ों से जुड़ी सम्भावनाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकार होना होगा। उदाहरण के तौर पर, बच्चों को इन विकल्पों तक पहुँचने के रास्तों का ज्ञान होना होगा। उनके लिए तैयार होने में मददगार तंत्र के बारे में भी मालूम होना होगा। समता का वादा करने वाले एक लोकतांत्रिक देश में यह एक अधिकार है। इसका निहितार्थ है ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया का होना जो बच्चे को एक कलाकार, संगीतकार, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक या नर्स की भूमिकाओं के बारे में जानने के लिए सक्षम बनाए और इनमें से प्रत्येक भूमिका के लिए आवश्यक तैयारी के बारे में भी बताए।

लेकिन बच्चे वास्तव में जिन हालात में जीते और बड़े होते हैं, वे इस स्थिति से बिल्कुल अलग हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस अधिकार में ही बच्चे की यह ज़िम्मेदारी भी अन्तर्निहित है – अपेक्षित उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए काम करना और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना। इस प्रकार जहाँ एक ओर बच्चे का अधिकार है कि वह संसाधन और मौक़े उपलब्ध करवाए जाने की आशा रखे, दूसरी ओर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी तरफ से पर्याप्त चेष्टा करे। एक समुदाय में किसी-न-किसी तरह की ज़िम्मेदारियों के बिना बहुत-से अधिकार नहीं हो सकते लेकिन बच्चे भी ऐसी स्थितियों में फँसे हुए नहीं हो सकते जिनमें उनकी बस ज़िम्मेदारियाँ ही हों और अधिकार बहुत कम हों या बिल्कुल भी न हों। किसी भी समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है कि वह स्वयं से उन ज़िम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में पूछे जिन्हें वह आवश्यक मानता है, और यह भी, कि इनकी पहुँच सब बच्चों तक कैसे सुनिश्चित की जाए। यह हममें से प्रत्येक को पूछना चाहिए कि क्या देश के बच्चों में अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का न्यायसंगत, उचित सन्तुलन है या नहीं।

राष्ट्रीय नागरिक बनना सीखना

बच्चों की यह स्वाभाविक शिक्षा उस सन्दर्भ द्वारा प्रेरित और संचालित होती है जिसमें वे जीते हैं। यह उनके परिवारों, समुदाय, मीडिया और अन्य स्रोतों से आती है व समाज में व्यक्ति की भूमिकाओं और अधिकारों, परस्पर सम्बन्धों और अन्त:क्रियाओं के बारे में मिश्रित परिप्रेक्ष्य लाती है। बाज़ार की ताक़तें बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने वाले तक़ाज़ों और आकांक्षापूर्ण मूल्यों को पैदा करने की इच्छा रखती हैं, या फिर नाजायज़ पात्रता और माँगों का बोध पैदा करना चाहती हैं। ये ताक़तें समानता, विविधता और बहुलता को ग़लत अर्थ देकर असलियत को छुपा सकती हैं। कुछ सामाजिक और राजनैतिक ताक़तें भी ग़लत जानकारियाँ देती हैं और युवाओं को अतिवादी बनाने की कोशिश करती हैं।

सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग और पहुँच की वजह से अब बहुत-सी अनियंत्रित जानकारी सभी तक पहुँचती है। जानकारी का उपयोग करने वालों के पास प्राप्त जानकारी की प्रकृति, उद्देश्य और सचाई का मूल्यांकन कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। इनका सन्दर्भ चुनावों समेत संकीर्ण फ़ायदों के लिए अलग-अलग तरह की लामबन्दी करना हो सकता है। सूचना-सम्पन्न और सक्रिय नागरिक होने का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है इन जानकारियों की छँटाई करते हुए लोकतांत्रिक संविधान के मूल सिद्धान्तों के साथ मेल करके उनके बारे में तार्किक और विवेकशील नज़रिया बनाना।

नागरिकता के लिए शिक्षा का तक़ाज़ा है कि ऐसे साधन विकसित किए जाएँ कि बच्चे इस ज्ञान को हासिल करने में सक्षम हो पाएँ। ये साधन हैं : सर्वप्रथम, ज्ञान के नए स्रोतों तक पहुँच बनाने की क्षमता होना यानी विश्वासपूर्ण तरीक़े से समझ के साथ पढ़ पाना और अपनी जानकारी में वृद्धि की इच्छा होना; दूसरा, इस बात का बेहतर तरीक़े से आकलन कर पाने की क्षमता कि कोई दृष्टिकोण, कथन (या पाठ) तार्किक एवं आन्तरिक तौर पर सुसंगत है या नहीं - और किस तरह वह अन्य स्रोतों द्वारा बताई गई बात के साथ मेल खाता है। इसके लिए अपनी राय को स्थगित रख सकने वाला खुला दिमाग़ और स्वभाव चाहिए। लेकिन बुनियादी क्षमताओं, तार्किकता और स्वभाव के इन पैने साधनों को एक मूलभूत नैतिक ढाँचे की भी ज़रूरत है। यह ढाँचा इन साधनों के इस्तेमाल के सिद्धान्त सुझाएगा और इसे संवैधानिक तथा मानवीय मूल्यों से उभरना चाहिए। बुनियादी साक्षरता, मूलभूत गणितीय सक्षमता, वैज्ञानिक तथा विवेकशील स्वभाव के साथ-साथ इन मूल्यों को एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में रेखांकित किया गया है।

एक वचन के रूप में प्रस्तावना

भारत के नागरिकों के लिए मूल्यों का सार-तत्व संविधान की प्रस्तावना से उभरकर आता है, जो सब लोगों द्वारा एक-दूसरे को दिए गए वचन का कथन है। यह वचन समता, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के साथ-साथ वैज्ञानिक स्वभाव और विवेकशीलता रखने का वचन है। इसमें जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का वादा किया गया है, उसके कई निहितार्थ हैं, जिनमें स्कूलों में विविधता से जुड़ा बरताव भी शामिल है। शिक्षा अलग-अलग लोगों के साथ होने वाले बरताव का आकलन करने और असमानताओं पर प्रतिक्रिया देने के बारे में सबको जागरूक बनाती है।

संविधान में किए गए वादों में से सबसे महत्त्वपूर्ण है भ्रातृत्व का वादा। यह विविधताओं के बीच एकता के निर्माण के लिए और जीने के बहुल रूपों के प्रति आदर पैदा करने के लिए ज़रूरी है। यह मूल्य बाक़ी सब मूल्यों के केन्द्र में है और इसके बिना बाक़ियों में से किसी को भी पुख़्ता नहीं किया जा सकता। भ्रातृत्व-निर्माण के प्रभाव विशाल हैं और विविध अन्य लोगों के नज़दीक जाने की इच्छा इनके दायरे में आती है। इसी प्रभाव के तहत आप अन्य लोगों को अपनी ही तरह के इन्सान के तौर पर स्वीकार करते हैं।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मत और पूजा की आज़ादी होने पर एक नागरिक खुले तौर पर सोचने, ख़ुद को अभिव्यक्त करने और तर्क करने तथा जैसा उचित लगे, उसी तरह पूजा-अर्चना करने में विश्वस्त महसूस करता है।

अन्य मूल्य

इस सबके साथ, विविधता को स्वीकार करने तथा मतों, सोचने के तरीक़ों, विचारों, पूजा-उपासना के स्वरूपों और वैकल्पिक विचारों व रूपों की अभिव्यक्तियों की बहुलता का आदर करने के लिए सहनशीलता की आवश्यकता होती है। भारत के सन्दर्भ में, जहाँ धर्म और उपासना के भिन्न-भिन्न रूप मौजूद हैं, स्वयं के लिए यह आज़ादी सुनिश्चित करना दूसरों को ऐसी ही आज़ादी देने के साथ गुँथा हुआ है। इसके लिए ज़रूरत है कि विभिन्न धर्मों के उपासना के तरीक़ों और त्यौहारों के बारे में जागरूक रहा जाए, उनमें भाग लिया जाए या एक दर्शक बनकर उनमें दिलचस्पी ली जाए। लोकतंत्र पर अपना दावा जमाने के लिए स्वीकृति का यह एहसास होना ज़रूरी है।

लोकतांत्रिक नागरिक होने का एक अन्य अनिवार्य पक्ष भी है। यह है समझदारी और इरादे के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार हो पाना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अर्थ सत्ताधारी सरकार के पक्ष या विपक्ष में होना नहीं है और बस वोट दे देने तक तो कतई सीमित नहीं है। इसका अर्थ है जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके बारे में जानकार होना, उसका विश्लेषण करना; सरकार तथा प्रशासन के काम का आकलन करना और उसके बारे में कोई राय बनाना; उठाए गए क़दमों और लिए गए फ़ैसलों के औचित्य को लेकर सवाल पूछना। अच्छा नागरिक होने का अर्थ सत्ताधारियों की आज्ञाकारी प्रजा होना नहीं है बल्कि एक ऐसा सूचना-सम्पन्न नागरिक होना है जो न केवल अपनी बल्कि अन्य लोगों की भी ज़िन्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक लोकतंत्र में शिक्षित नागरिक होने का अर्थ है :

- जानकारी हासिल करने और उसके बारे में राय बनाने की क्षमता रखना।
- प्रमाण, परिप्रेक्ष्य, विचार, विश्लेषण, तथ्याधारित भविष्यवाणियों को प्राप्त करना और उन का आकलन करना।
- तर्क और विवेक की क़द्र करना।

ये तीन गुण ही वह विश्वास पैदा कर सकते हैं जिससे कोई ख़ुद को कुछ हद तक शासकों-प्रशासकों के बराबर समझ पाएगा। नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका के महत्त्व को समझने की क्षमता पैदा कर पाएगा और सामन्ती प्रजा की तरह रोब और सत्ता के अधीन होना स्वीकार नहीं करेगा।

देश-प्रेम

नागरिक होने का एक महत्त्वपूर्ण तत्व देश के बारे में सोचना और जनहित की भावना रखना है। लेकिन देश-प्रेमी और ज़िम्मेदार नागरिक होने से सम्बद्ध विचारों को भी जाँचना-परखना ज़रूरी है। राष्ट्र के विचार, देश-प्रेम के अर्थ और उससे सम्बद्ध क्या और क्यों जैसे मसलों पर सवाल उठाना ज़रूरी है। सवाल पूछने और सरकार या प्रशासन द्वारा उठाए गए क़दमों से असहमति होने का अर्थ देशप्रेम के विरुद्ध होना नहीं है।

नागरिकों को इस बात को समझते हुए सक्रिय होना चाहिए कि राष्ट्र लोगों से बनता है। राष्ट्र का कोई भी ऐसा विचार जिसमें देश के लोगों की चिन्ता न हो और जो राष्ट्रीयता के अमूर्त विचार के प्रति असीम त्याग की माँग रखता हो, एक अलोकतांत्रिक निरूपण है। स्वयं पर और अपने देश पर गर्व करने की भावना को इस एहसास के साथ मापना और मिलाना होगा कि ख़ुद के गौरव को तब ही आदर मिलेगा जब हम अन्य व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के गौरव को मान-सम्मान देंगे।

हमें समझना होगा कि भूतकाल हमें अपनी ग़लतियों को पहचानने में ही मदद कर सकता है, वह आज के जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। बीते समय की ग़लतियों को आज के सन्दर्भ में रखकर प्रभुता-सम्पन्न गणतंत्र के विचार तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के अर्थ को जाँचने की ज़रूरत है। क्या यह लोगों और सम्पूर्ण विविधता के लिए आदर से रहित है? क्या इसका अर्थ एकरूपता, सोचने के एक ही तरीक़े तथा एक धर्म/विश्वास के आधिपत्यपूर्ण प्रभुत्व को बढ़ाना है? क्या इसका अर्थ अन्य समुदायों और इन्सानों के प्रति भय और क्रोध के बीज बोना है? इसका सरोकार देश में रहने वाले लोगों के साथ होना चाहिए – यह केवल धरती और भूगोल की बात नहीं है। इन पर और राष्ट्र के अमूर्त रूप पर ज़रूरत से ज़्यादा बल देने, बीते समय की ओर देखने, अति-राष्ट्रवादी, संकीर्ण और ग़ैर-समावेशी होने का अर्थ है संविधान में कल्पित भारतीय होने के विचार का अनादर करना।

स्कूल की भूमिका

स्कूल की प्रक्रियाओं को इस विचार में योगदान देने की ज़रूरत है और यह सम्भव है। ऐसा कई तरह से किया जा सकता है: स्कूल में इस प्रकार की संस्कृति विकसित करना जिसके तहत सब लोगों की भागीदारी रहे और उनमें घनिष्टता तथा एकजुटता की भावना हो; कई तरह के संयुक्त काम और गतिविधियाँ हाथ में लेना; स्कूल को चलाने और सम्भालने के काम में विद्यार्थियों और शिक्षकों की साझा भूमिकाओं को शामिल करने वाली संस्कृति को अपनाना। इसका अर्थ होगा कि समूहों के पास एक ढाँचे के तहत यह ज़िम्मेदारी और अधिकार होंगे कि वे उन्हें सौंपे गए विभिन्न कार्यों की रूपरेखा बना सकें और उन्हें क्रियान्वित कर सकें।

तालमेल बनाए रखने वाले समूहों के कार्यों में ये कार्य शामिल हो सकते हैं - सामग्री/उपकरणों की देख-रेख, कक्षा-कक्षों और परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना, खेल-मैदानों और पौधों की देखभाल करना, उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करना, मदद की ज़रूरत वाले बच्चों को सहयोग देना आदि। संक्षेप में, यह स्कूल के कामकाज के लिए भागीदारी पर आधारित व्यवस्था और संस्कृति होगी। इसमें सदस्य, सूचना-सम्पन्न फ़ैसले लेने की प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकते हैं - मिसाल के तौर पर समयसारणी, स्कूल की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा अन्य ऐसे ही कार्यक्षेत्रों के बारे में फ़ैसले लेने की प्रक्रियाएँ। इससे सम्पूर्ण ढाँचे की संरचना में रहते हुए विद्यार्थी आपसी तालमेल के साथ काम करने के एहसास को विकसित कर पाएँगे। वे अलग दृष्टिकोण होने पर बहुमत द्वारा लिए गए फ़ैसलों को स्वीकार करना सीख पाएँगे। साथ ही, वे खुले मन और सकारात्मकता के साथ आलोचना व सुझावों को स्वीकारते हुए समीक्षा करने तथा योजना बनाने में भी शामिल हो सकते हैं। ये समूह वार्तालाप के ऐसे मंचों के रूप में भी काम करेंगे जहाँ विद्यार्थी स्कूल के फ़ैसलों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।

कॉमन स्कूल के विचार के सबसे नज़दीक पब्लिक यानी सार्वजनिक स्कूल हैं क्योंकि वे विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्कूल, बच्चों के लिए साथ खेलने, एक-दूसरे को सुनने-सुनाने और मिल-बाँट कर भोजन करने के लिए एकत्र होने का स्थान है। यहाँ वे आचरण के तौर-तरीक़े सीखते हैं। एक-दूसरे से भाषा, विचार और खेलों के बारे में भी सीखते हैं। स्कूल के माहौल में वे कई तरह के संस्कारों तथा रस्म-रिवाज़ का पालन करते हैं या उनमें भागीदारी करते हैं, जिसके चलते वे लोगों के कुछ तबक़ों को घिनौने रूप में चित्रित किए जाने के झूठे अभियानों का विरोध करना सीख सकते हैं। आधी छुट्टी के दौरान एक-दूसरे के साथ मिल-बाँट कर भोजन करने से या मध्यान्ह भोजन के दौरान साथियों के तौर पर एक-दूसरे की बगल में बैठने से कई तरह के अवरोध धराशायी होते हैं।

लेकिन यह सब तभी मुमकिन है अगर स्कूल भ्रातृत्व की भावना का आदर करता है और स्वयं विद्यार्थियों के बीच कोई फ़र्क़

नहीं करता; उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे जाति, समुदाय, परिवारों के पेशों और आर्थिक हालात को दरकिनार करते हुए दोस्त, सहयोगी, टीम के सदस्य बनाएँ। एक टीम के तौर पर मिलकर खेलना, हार-जीत के बीच नतीजों को स्वीकार करना सीखना, स्कूल के लिए सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियों और कार्यों में एक-दूसरे के साथ रहना – इन सबसे बच्चे ऐसी समझ विकसित कर पाते हैं जो कई चुनौतियों का सामना कर सकती है।

इन्साफ़ का विचार अच्छे से दिमाग़ में घर कर जाए, इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थियों को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतिक्रियाएँ दी जाएँ। स्कूल का आन्तरिक कामकाज और गतिविधियाँ स्कूल के छोटे संसार में विविधता की स्वीकृति को विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। मिसाल के तौर पर साथ मिलकर काम करने के अनुभव, पारदर्शी बरताव और मिश्रित समूहों को सुनिश्चित करना। इसके साथ-साथ यह सब कुछ व्यापक समाज और उसकी चुनौतियों में ख़ुद को तल्लीन करने के लिए एक तैयारी का काम भी करता है। इस तैयारी में व्यापक तथा बड़े संसार को प्रभावित करने वाले सरोकारों के साथ रिश्ता बनाना भी शामिल होगा। इसमें ये सब तत्व शामिल रहेंगे – वर्तमान घटनाओं की चर्चा और ज्ञान के माध्यम से दूसरों से,; जो कुछ अनजाना है, जिससे अभी तक मुलाक़ात नहीं है, उस सबसे और उससे जुड़ी चुनौतियों से भी सरोकार रखना; साम्प्रदायिक मुद्दों से प्रभावित होने से बचना व उसके इर्द-गिर्द होने वाली लामबन्दियों को होने से रोकना; हमारी आँखों के सामने घटित होने वाले बड़े संकटों (मसलन, मौजूदा महामारी के समय में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर पलायन) से जुड़ी चिन्ताग्रस्त प्रतिक्रिया का होना; पर्यावरण से सम्बद्ध दायित्वपूर्ण तरीक़ों को प्रोत्साहित करना; उसमें आ रही गिरावट को रोकना, टिकाऊ पदार्थों, उत्पादों और तरीक़ों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और उपभोक्तावाद से बचना। ये सामाजिक दायित्वों के बारे में जागरूक होने के तरीक़े हैं और इस जागरूकता के लिए सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लिया जा सकता है और किसी-न-किसी तरह उन सामाजिक दायित्वों पर काम भी किया जा सकता है।

सार-संक्षेप

इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो कर पाना स्कूलों के लिए आसान नहीं है। लेकिन बच्चों को समर्थ बनाने वाले माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास तो निश्चित ही किया जा सकता है। स्कूल ऐसे छोटे और बड़े सन्दर्भों के आर-पार संवाद की शुरुआत कर सकता है जिनके बारे में बच्चे जागरूक हो सकते हैं - और उनसे प्रभावित भी हो सकते हैं। बच्चा स्कूल के बाहर और समुदाय में कुछ काम हाथ में लेता है तो ये उसके सामाजिक तौर पर ज़िम्मेदार और अच्छा नागरिक होने के संकेत हैं। टीमों और समूहों में धर्म-निरपेक्ष हिस्सेदारी और ग़ैर-साम्प्रदायिक दोस्तियाँ करना विभिन्नताओं के आर-पार भ्रातृत्व की भावना सुनिश्चित करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे टीम-खेलों में भाग लेने, स्कूल-कार्यों के लिए संयुक्त ज़िम्मेदारी लेने, छोटे-बड़े आयोजन करने, विविध प्रकार की ज़रूरतों के माध्यम से एक-दूसरे की मदद करने जैसे काम करें।

लेकिन इस सबसे भी बढ़कर नागरिकता में प्रशिक्षित होने की माँग है कि बच्चे आत्मविश्वास के साथ नया ज्ञान हासिल करने का सामर्थ्य विकसित कर पाएँ, जो वे पठन-पाठन एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से कर सकते हैं; वे स्वयं को तार्किकता और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त कर पाएँ; ख़ुद की एक सकारात्मक छवि रख पाएँ; उनके पास नैतिकता का एक मज़बूत तंत्र हो और वे निडर हों। नागरिकता का अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने महत्त्व को लेकर विश्वस्त हो और अपनी भूमिका के प्रति ज़िम्मेदार हो।

स्कूल के लिए यह सम्भव कर पाना बहुत कुछ इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि न केवल शिक्षकों की बल्कि पूरे स्टाफ़ की एक प्रतिबद्ध टीम हो। एक ऐसा माहौल हो जिसमें यह टीम सुरक्षित और सुनिश्चित महसूस करे, और उसमें नागरिकता का बोध हो। उनमें अभिभावकों समेत बाहर की दुनिया के साथ संवाद कर पाने का विश्वास होना चाहिए – यह जानते हुए कि शायद यह संवाद हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा और न ही ऊपर वर्णित मूल्यों से मेल खाने वाला होगा। इसके लिए ज़रूरत होगी कि वे नागरिकता को समझ पाएँ और उनमें यह भी समझ पाने की क्षमता हो कि वे स्कूल के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में क्या कुछ लागू करवाने की स्थिति में हैं। वे अपने पूर्वाग्रहों तथा वफ़ादारियों को एक तरफ़ रखते हुए खुली और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार हों ताकि बच्चे मानवतावादी और संवैधानिक मूल्यों से रंगे अपने खुद के तर्कसंगत नज़रिए बनाना सीख पाएँ।

References

National Education Policy 2020, Department of Education Government of India, Delhi

National Curriculum Framework 2005, NCERT

Dewan Hriday Kant, (2017) Curricula: What can the school do in the life of the child, Voices of Teachers and Teacher Educators, 8-15, NCERT, August 2017, New Delhi

---



हृदय कान्त दीवान इस समय अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के 'अनुवाद पहल' के साथ कार्यरत हैं। वे *एकलव्य* के संस्थापक समूह के सदस्य रहे हैं और विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर के शिक्षा-सलाहकार हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 साल से अलग-अलग हैसियत में रहते हुए काम करते रहे हैं। वे विशेष तौर से शैक्षिक नवाचारों और राज्य के शैक्षणिक ढाँचों में सुधार के प्रयासों से जुड़े रहे हैं। उनसे hardy@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** रमणीक मोहन